उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या-400 /16/तीन(परी0-1)/2026/खण्ड-2

लखनऊ, दिनांकः 12 जून, 2026

<u>आवश्यक सूचना</u>

समस्त संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-10-परीक्षा/2023, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2022)/09 की शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल 2993 अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपद मुख्यालयों पर उनकी निर्धारित तिथि में (रिपोर्टिंग टाइम पूर्वाह्न 08:00 बजे व गेट क्लोजिंग टाइम पूर्वाह्न 11:00 बजे) आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी।

प्रश्नगत चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद (मेडिकल बोर्ड) द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवानियमावली, 2015 के भाग-5 'भर्ती की प्रक्रिया' के बिन्दु 16 (दो) (ड़) व परिशिष्ट-4 में दी गयी व्यवस्था एवं आयोग के विज्ञापन संख्या-10-परीक्षा/2023, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2022)/09 के बिन्दु-8.1(घ) व (ड़) में प्रकाशित विवरण तथा उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-3 के पत्रांक-820/81-03-2023, दिनांक-26 मई, 2023 के अनुसार करायी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के मण्डलीय जनपद मुख्यालयों के चिकित्सा परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्नगत चिकित्सा परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन हेतु आयोग द्वारा वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी को संयोजक के रुप में तैनात किया गया है।

चिकित्सा परिषद अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण हेतु सम्बन्धित विशेषज्ञों की राय/रिपोर्ट प्राप्त कर सकती है। आयोग द्वारा प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या-450/16/तीन(परी0-1)/2026/खण्ड-2, दिनांक-01 जून, 2026 के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि केवल जनपद स्तरीय जिला चिकित्सालय द्वारा निर्गत जांच रिपोर्ट, जो कि अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा तिथि से पूर्व विगत 15 दिन की अवधि में जारी की गयी हो, के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि उक्त चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को निम्न अभिलेखों/ उपकरणों/जांच रिपोर्टों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है-

1. एक्स-रे चेस्ट पी0ए0 (X-ray chest PA),
2. रूटीन यूरीन, (आर/एम) [Routine Urine, (R/M)],
3. विशेषज्ञों की सलाह सहित ई0सी0जी0 रिपोर्ट (E.C.G. Report with expert opinion),
4. सी0बी0सी0 रिपोर्ट (CBC Report),
5. यदि चश्मा अथवा कॉन्टेक्ट लेन्स पहनते हैं तो चश्मा व नेत्र परीक्षण रिपोर्ट साथ लायें।
6. **चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में चिकित्सा परिषद् का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।**

आयोग द्वारा तैनात प्रभागीय वनाधिकारी (संयोजक) द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली, 2015 के परिशिष्ट-4, सीधी भर्ती के लिए चिकित्सकीय परीक्षा के बिन्दु-'ख' के अनुपालन में प्रतिदिन की परीक्षा समाप्ति पर अपने हस्ताक्षर से परिणाम को परीक्षा स्थल के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

12/06/2026

परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

लखनऊ।